

राजस्थान.सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज विभाग)

क्रमांक:एफ 28()पंरावि/प्रशा.2/स.स.-पं.प्र.अ./सेवा.निवृत्त/2020/564 जयपुर,दिनांक:20/3/20

:: आ दे श ::

निम्न कार्मिक पंचायत प्रसार अधिकारी के रूप में अधीनस्थ सेवा में कार्यरत है, को अधिवार्षिता की आयु पूरी कर लेने से उनके नाम के सामने अंकित तिथि से, सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

| क्र. स. | नाम पंचायत प्रसार अधिकारी सर्व श्री | वर्तमान पदस्थापित स्थान | अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने की दिनांक |
|---------|-------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. | महावीर प्रसाद जैन | पं.स. धरियावद (प्रतापगढ़) | 31.03.2020 |
| 2. | घनश्याम लाल शर्मा | पं.स. धरियावद (प्रतापगढ़) | 30.04.2020 |
| 3. | राजेन्द्र कुमार वैद्य | पं.स. प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) | 30.04.2020 |
| 4. | जोर सिंह कुम्पावत | पं.स. प्रतापगढ़ (प्रतापगढ़) | 31.05.2020 |
| 5. | सांवर वर्मा | पं.स. श्रीमाधोपुर (सीकर) | 30.04.2020 |
| 6. | पूर्णमल टेलर | पं.स. श्रीमाधोपुर (सीकर) | 31.08.2020 |
| 7. | हीराराम मेहरा मेगवाल | पं.स. मण्डोर (जोधपुर) | 31.03.2020 |
| 8. | बाबू लाल मोड़ | पं.स. भदेसर (चित्तौड़गढ़) | 31.07.2020 |
| 9. | विजय लाल मेघवाल | पं.स. भदेसर (चित्तौड़गढ़) | 31.08.2020 |
| 10. | जगदीश चन्द्र वैष्णव | पं.स. गंगरार (चित्तौड़गढ़) | 31.08.2020 |
| 11. | सोहन सिंह | पं.स. डूंगला (चित्तौड़गढ़) | 31.08.2020 |

यह प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर नामित पंचायत प्रसार अधिकारियों के विरुद्ध आज तक:-

- (1) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जाँच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (2) राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम,1958 के नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- (3) कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।


यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से

(अनुप्रेरणा सिंह कुन्तल)
अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग, जयपुर ।
2. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर ।
3. मुख्य/अति. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद संबंधित को प्रेषित कर लेख है कि उक्त के विभागीय जाँच बकाया नहीं होने का प्रमाणीकरण आप द्वारा प्रेषित प्रमाण पत्रों के आधार पर किये गये है। अतः उक्त कार्मिकों के सेवानिवृत्ति तक किसी प्रकार की प्रतिकूल कार्यवाही विरचित होने पर पेंशन विभाग एवं इस कार्यालय को अवगत कराते हुए नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
4. विकास अधिकारी, पंचायत समिति –संबंधित।
5. आदेश में वर्णित संबंधित पंचायत प्रसार अधिकारी।
6. ए.सी.पी., मुख्यालय को विभागीय वेबसाईड पर अपलोड करने हेतु।
7. आदेश/रक्षित पत्रावली।


अतिरिक्त आयुक्त एवं
संयुक्त शासन सचिव (II)